मध्यप्रदेश वन सुरक्षा पारितोषिक नियम 2004

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना :

(1) ये नियम वन सुरक्षा पारितोषिक नियम 2004 कहलावेंगे।

(2) ये पूरे मध्य प्रदेश राज्य में लागू होंगे।

[1](3) ये नियम, इनके म.प्र. राज्य पत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं: इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा आपेक्षित न हो :

(a) अधिनियम से तात्पर्य भारतीय वन अधिनियम 1927 (XVI वर्ष है 1927)

(b) 'वन संरक्षक' से तात्पर्य वह अधिकारी फोरेस्ट सरकल का प्रभारी अधिकारी हो या राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य अधिकारी जो उसके समकक्ष घोषित किया गया हो।

(c) वन मण्डलाधिकारी से तात्पर्य वह अधिकारी है जो वनमण्डल के प्रभार में हो।

(d) 'अन्य वस्तु' से तात्पर्य वाहन, औजार, पशु, हथियार, टूल्स आदि है जो वन अपराध कारित करने में उपयोग में लाये गये हो।

इन नियमों में जो शब्द तता अभिव्यक्ति प्रयोग में लाई गई है लेकिन उनको परिभाषित नहीं किया है, उसका वही अर्थ होगा जो उसके लिये अधिनियम में दिया गया हो।

3. पारितोषिक :

(1) वन अपराध में लिप्त अपराधी को, न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर, या वन अधिकारी द्वारा प्रशमन करने पर, वन मण्डलाधिकारी उस व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्होंने वन अपराध का पता लगाने, या अपराधी को पकड़ने या अपराधी को दोषसिद्ध कराने या वन उपज तथा अन्य वस्तु राजसात करने में असामान्य, सहायता की हो तथा राजसात की वस्तु का मूल्य रू. 25000/- के आसपास या अधिक हो, तो वन वनमण्डलाधिकारी उसको पारितोषिक दे सकता है। पारितोषिक की राशि प्रकरण में प्राप्ति क्षतिपूर्ति से अधिक नहीं होगी।

(2) पारितोषिक की राशि रू. 10000/- या अधिक हो तो वन संरक्षक की पूर्व अनुमति ली जावेगी।

(3) पारितोषिक वन विभाग में उपवन मण्डलाधिकारी तथा पुलिस में उपजिला अधिक्षक से उच्च अधिकारी को देय नहीं है।

(4) स्वीकृति अधिकारी: पारितोषिक की राशि वन मण्डलाधिकारी स्वीकृत कर सकते है।

(5) पारितोषिक की राशि की वसूली यदि पुरस्कार देने के पश्चात् अपराधी अपील में दोषमुक्त हो जाता है तो पुरस्कार की राशि की वसूली नहीं होगी। जब तक प्रकरण में कोई धोखाधड़ी न की गई हो।

(6) पारितोषिक गोपनीय होगा तथा वन विभाग की 'गुप्त निधि' से स्वीकृत किया जावेगा। तथा सूचना दाता का नाम गुप्त रखा जावेगा। उसका न्यायालय में परीक्षण नहीं होगा वन मण्डलाधिकारी कान्टिन्जेट मद से यह राशि भुगतान कर सकते हैं।

(7) इन नियमों के लागू होने पर इससे सम्बन्धित, इस विषय के पूर्व के समस्त नियम समाप्त हो जावेंगे, लेकिन इन समाप्त नियमों के अन्तर्गत की गई कार्यवाही को इन नियमों के अन्तर्गत की गई कार्यवाही माना जावेगा।

अधि. क्र. 25.10.2004 –X-3 दिनांक 5 अगस्त 2005

पारितोषिक नियम (3) का प्रावधान वन प्राणियों का शिकार या ऐसी वनोपज जिसका मूल्य निर्धारण करना संभव न हो पर लागू नहीं होगा।

1. ये नियम म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 30.10.04 के पृष्ठ 998 पर प्रकाशित।